International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 09 September- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत में लोकपाल—स्थिती एंव व्यवहार

तिलकचंद पी. शेंडे, नागपूर

शोध लेख पत्र में लोकपाल एंव लोकायुक्त की पूष्टभुमी,लोकपाल एंव लोकायुक्त विधेयक२०१६,लोकपाल और लोकायुक्त की आवश्यकता क्या है,भारत में भी लोकपाल की स्थापना की जा चुकी है तथा यह देश के हित में है। लोकपाल आधुनिक युग की आवश्कता है। प्रशासन को साफ सुथरा बनाना इसका उददेश है।लोकतंत्र में राज्यो के अधिकारो की एक सापेक्ष सीमा रहती है। तथा सरकार के मनमानेपन के विरूध्द संरक्षण उपलब्ध रहते है।लोकपाल जैसी संस्था इसे और उच्चस्तरीय बना सकती है। इसकी नियुक्ती का प्रयोग प्रशासन में विशिष्ट योगदान दे सकती है।अब भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम २०१३अपने अभिप्राय की पुर्णता की ओर अग्रसर है तथा भारतवर्ष मे लोकपाल संस्था का भविष्य सुरक्षित,सकारात्मक उज्जवल प्रतित होता है।

कुंजी शब्द —लोकपाल,स्थिती एंव व्यवहार

प्रस्तावना :

स्वतंत्र भारत में पहिली बार किसी कानुन के लिए इतना बडा जन समुदाय उठ खडा हुआ था । अब बहस इस बात की नही हो रही है की लोकपाल कब स्थापित हो।अब तो केवल यह तय करना बाकी है की लोकपाल कैसा हो उंचे पदो पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिय प्रसाशन सुधार आयोग की ओर से वर्ष १९६७मेंलोकपाल की स्थापना का सुझाव दिया गया था।सन१९६९में उस लोकसभा ने पारित भी कर दिया लेकिन उसके बाद स`अब त कवह मश्ग —मरीचिका ही साबीत हुआ । इस दौरान छोटी बडी सोलह कोशीसे की गई । दस बार सरकारी विधेयक के रूप मेंऔर छह बार गैर सरकारी विधेयक के रूप में इसे स्थापित करने की कोशीस की गई लेकिन किसी न किसी बहाने उसमें रोडा अटकाया जाता रहा।

शुरू में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे मे रखे जाने को लेकर मतभेद थे किंतु उंचे पदो पर आसीन लोगे से जुडे भ्रष्टाचार के मुददे इस प्रकार उजागर हो चुके है और उनका आभामंडल इतना क्षीण हो चुका है की सार्वजनिक जीवन का कोई भी पदधारक अब अपने को जॉच के दायरे में अलग रखने की सिफारिश करने का साहस नही कर सकता।

लोकपाल की स्थापना के लिय प्रसिध्द समाजसेवी व गांधीवादी नेता अण्णा हजारे की मौजुदा पहल ऐसे समय हुई है जब देश की जनता भ्रष्टाचार की मार सह रही थी । मामला केवळ राष्ट्रमंडल खेल एंव २जी स्पेकट्रम घोटालो तक ही सिमीत नही है। जहा कही भी पाखंड का सुरक्षा कवच थोडा सा दरकाता है,उसके नीचे भ्रष्टाचार का काला

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 09 September- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

समंदर नजर आने लगता है। अदालते से जुडे भ्रष्टाचार के प्रकरणो मे उजागर होने के बाद अब जनता के धैर्य का बांध टुटने लगा है।

सरकारी विधेयक का अधिकार क्षेत्र केवल राजनेताओ तक सिमीत है।सरकारी अधिकारीयोकी जॉच के लिय सतर्कता आयोग जैसी संस्था है जो अब तक निष्प्रभावी साबित हो चुकी है।न्यायपालिका के उपर अंकुश लगाने के लिय कोइ संस्था नही है।जनता के लिय राजनेता के भष्टाचार,सरकारी कारकुनो की रिश्वतखोरी एंव न्यायधीशो की बेईमानी मे कोई अंतर नही है।इस पुष्टभुमी मे जन लोकपाल विधेयक के उपबंध सरकारी विधेयक की तुलना में ज्यादा प्रभावी और प्रांसगिक है।

यदी लोकपाल भ्रष्टाचार के आरोपो को सहि पाता है तो दोषी व्यक्ती को बर्खास्त कर दिया जाय । इसके अलावा 'व्हिसल ब्लोअर'यांनी भ्रष्टाचार के विरूध्द आंतरिक रूप से शंखनाद करने वाले लोगो को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी लोकपाल की ही हो।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई ने लोकपाल विधेयक के प्रारूप को भी बदल दिया।लोकपाल के दो फाड हो गये। सिव्हिल सोसायटी का लोकपाल विधयक 'जन लोकपाल विधयक 'बन गया और सरकार दवारा तयार विधयक का डाप्ट'सरकारी लोकपाल विधयक'कहलाया। यह पहिला मौका था जब भष्टाचार के खिलाफ लोकपाल विधेयक के दो मसौदे तयार किय गए।

स्रकारी लोकपाल विधेयक और जन लोकपाल विधयक को सभी दलो के साथ विचार विमर्श करने के बाद कैबिनेट मे भेजा गया । यहा कॅबिनेट ने सरकारी विधेयक को अपनी मंजुरी दे दी । इसके बाद इसे लोकसभा मे पेश किया गया और आज हम उसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम २०१३ के रूप में जानते है।

आज भ्रष्टाचार राष्ट और कोढ व कैंसर है।भ्रष्टाचार प्रसाशन की एक प्रमुख समस्या बन गया है,भ्रष्टाचार को मिटाने और दुर करने के लिय विभिन्न देशो मे समय समय पर अनेक कदम उठाये गये है 'स्वीडन में सर्वप्रथम १८०९मे संविधान के अंतर्गत ओम्बडुसमैन की स्थापना की गई। तदोपरांत फिनलैड मे १९१८मे,डेन्मार्क मे१९५४,नार्वे १९६१ मे ब्रिटेन १९६७ मे ओम्बडुसमैन की स्थापना भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिय की गई विविध देशो मे ओम्बडुसमैन को विभिन्न नामो से जाना जाता है,इंग्लड मे इस 'संसदीय आयुक्त'सोविएत संघ में 'वक्ता'डेन्मार्क एंव न्युझीलंड मे संसदीय आयुक्त की नाम से जाना जाता है।

१९६७तक ओम्बडुसमैन संस्था १२देशो मे फैल गयी थी। साठ के दशक की शुरूवात मे भारत मे प्रशासनिक ढाचे मे जड जमाते भ्रष्टाचार को रोकने हेतु भारत मे भी स्कैनडनेवाइ देशो की तरह ओम्बडुसमैन के लिये लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 09 September- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

१९६३मे लोकसभा सदस्य श्री परिमल सिंघवी ने किया था ।लोकपाल शब्द की उत्तपती संस्कृत शब्द 'लोक तथा पाल 'से हुइ जिसका अर्थ 'लोगो का रक्षक'

भारत मे भारतीय 'प्रशासनिक सुधार आयोग 'ने प्रशासन के विरूध्द नागरीको की शिकायते सुनने एंव प्रशासकीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिय सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना का विचार रखा गया।मोरारीजी देसाइ की अध्यक्षता में जनवरी १९६६ को प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया,इस आयोग ने अपनी सिफारशी मे एक दिस्तरीय प्रणाली गठन की मांग की इसमे केंद्र मे एक लोकपाल एव राज्यो मे लोकायुक्त की स्थापना पर जोर दिया गया,साथ हि लोकपाल शब्द को स्वीडन के ओम्बडुसमैन का भारतीय संसकरण माना गया था। जिससे प्रशासकीय शिकायते की जा सकती है' वह ओम्बउुसमैन अधिकारी या लोकपाल है।

स्रकार ने पहिला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल मे मइ १९६८ को पेश कर पारित किया,वर्ष १९६८मे शांतिभुषण ने संसद में लोकपाल विधेयक को पेश किया गया था। पाचवी लोकसभा मे प्रधामंत्री इंदीरा गांधी के कार्यकाल मे इस विधेयक को एक बार फिर से अगसत १९७१मे पेश किया गया था हालाकी इसके दायरे से प्रधामंत्री को बाहर कर दिया गया फिर भी विचार किये जाने वाले विधेयक की श्रेणी मे पडा रहा व लोकसभा भंग हो जाने से विधेयक भी रदद हो गया।

लोकसभा मे अगस्त १९८५को पुन:लोकपाल विधेयक पुन:स्थापित किया गया था।यह विधेयक १९७७का प्रतिरूपण करता है लोकपाल विधेयक १९७७प्रशासनिक सुधार आयोग और पाश्चात्य देशो के ओम्बडुसमेन की धारणा का पुर्णरूपेण परिवर्तीत करता है।

लोकपाल विधेयक जो बहुचर्चित था लोकसभा मे सितबंर १९९६ को पेश कर दिया गया 'लोकपाल'मे अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्य भी होंगे इसकी नियुक्ती राष्टपती एक समिती की सलाह से करेंगे इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगे।अन्य सदस्य लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा उपसभापती,लोकसभा एंव राज्य सभा में विपक्ष के नेता,गूहमंत्री तथा सार्वजनिक शिकायत एंव कार्मीक मंत्री भी समिमली होगें लोकपाल की अधिकारीता के दायरे मे प्रधानमंत्री भी आते है। लोकपाल सांसदो व मंत्रियो के विरूदध जाच करेगा सांसदो व उनके परिवार को प्रतिवर्ष सपंत्ती का ब्यौरा देगा।

वर्ष २००२मे न्या.एम.एन.वैकंटचलैया के नेतूत्व मे संविधान समीक्षा आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की आवश्कता पर बल दिया। वर्ष २००४मे कॉग्रेस नेतूत्व वाले युपीए के न्युनतम साझा कार्यक्रम मे लोकपाल विधेयक को प्रभावी बनाने का वादा किया गया। अभी तक इस का मार्ग प्रशस्त नही हुआ था।२००६मे वीरप्पा मोइली की

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 09 September- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अध्यक्षता मे दुसरे प्रसाशनीक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे बिना देर किये लोकपाल को स्थापित करने पर बल दिया परंतु कुछ भी ना हो सका।

अप्रैल २०११मे भ्रष्टाचार के विरूध्द लोकपाल बिल के समर्थन मे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रसिध्द समाज सेवी अण्णा हजारे के आमरण उपोषण ने पुरे देश को आंदोलीत कीया लाखो करोडो देशवासियो को,जिनको अपनी आत्मा भ्रष्टाचारी दवारा दबी,कुचली व रौदी हुइ महसुस हुई और इस दुदर्श को अपना प्रारब्ध मान चुके थे अण्णा हजारे के माध्यम से एक बुलंद आवाज मिली और व्यापक आंदोलन के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधि.२०१३अस्तित्व मे आया,जिसका संशोधन भी२०१६मे आ गया है।

देश मे व्याप्त भ्रष्टाचार को दो भागो मे विभक्त किया गया प्रथम मंत्री और सचिव दितीय कर्मचारीयोमे व्यापत भ्रष्टाचार,भ्रष्टाचार के निराकरण के लिय पुथक संस्थाओ की जो कार्यपालिका,विधानमंडळ और न्यायपालिका से स्वतंत्र हो,अविल्मब स्थापना के लिये सिफारिश की गई।आयोग की रिपोर्ट मे इन संस्थाओको लोकपाल और लोकायुक्त का नाम दिया गया।

लोकपाल के महत्व के बारे मे 'वह परम प्रशासक नही है जिसको कोइ भी व्यक्ती अपील कर सकता है जब वह लोकधिकारी है,वह अधिक अनुकूल निर्णय प्राप्त कर सकता है।उसका प्राथमिक कुत्य कुप्रशासन के बारे मे अभिकथनो की जॉच करना है।

संदर्भग्रंथ :

सी.के.टकवानी २००६'लैक्चर्स ऑफ एडमिनिस्टेटिव्ह लॉ'इस्टर्न बुक कंपनी,लखनउ,३संस्करण

यू.पी.डी.केसरी २००८'एडमिनिस्टेटिव्ह लॉ'सेटल लॉ पब्लिकेशन,१७वा संस्करण

गिधर,बी.शर्मा १९८१'इम्पिलमेनशन आफ ओम्बडूसमैन प्लान इन इंडिया'आशीष पब्लिशिंग हाउस,दिल्ली

एस.के.अग्रवाल,१९७१'द प्रपोज्ड इंडियन ओम्बडुसमैन'त्रिपाठी पब्लीशर्स ,बाम्बे